

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- इलाहाबाद

पत्रांक 980 / 21030वि0 / पंजीकरण "सी" श्रेणी / 18-19

दिनांक 30-8-18

पंजीकरण सं० 19 / 2018-19

पंजीकरण प्रमाण पत्र

मे० डी०एस०पी० इम्प्टरवाइजेज प्रो० श्री धर्मन्द सिंह परिहार पुत्र स्व० राजेन्द सिंह परिहार, पता- जी०टी० रोड चौक खागा, तहसील खागा, जिला फतेहपुर को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद में भवन/मार्ग एवं पुल के सिविल निर्माण के लिये "सी" श्रेणी में टेकेंदारी हेतु पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद के अन्तर्गत समस्त प्रकल्पों में मान्य होगा तथा इस प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 30.08.2021 तक वैध होगा कि किसी भी समय टेकेंदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रपत्र/तथ्य यदि गलत पाया जाता है तो पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा, एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। इस प्रमाणपत्र की वैधता दिनांक 30.08.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नोट- टेकेंदार को पंजीकरण/परीचीकरण कराने के उपरान्त
अप विभाग के नियमों के अन्तर्गत अधिसूचों का पंजीकरण कराना
एवं लागूकरण प्राण करना अनिवार्य है।

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिनिधि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिराशी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद।
2. अधिराशी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड फतेहपुर को एचडीएफसी बैंक शाखा खागा द्वारा निर्गत टी०डी०आर० सं०-73456902 दिनांक 14.08.2018 जमा धनराशि रु० 1,00,000.00 जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बंधक है, मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया एक जमानत धनराशि को अपनी सेफ कस्टडी में रख लें और जब तक इस स्तर से कोई आदेश/निर्देश निर्गत न किये जायें तब तक बंधक मुक्त न करें (संलग्नक मूल रूप में)।
3. मे० डी०एस०पी० इम्प्टरवाइजेज प्रो० श्री धर्मन्द सिंह परिहार पुत्र स्व० राजेन्द सिंह परिहार, पता- जी०टी० रोड चौक खागा, तहसील खागा, जिला फतेहपुर द्वारा अधिराशी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड फतेहपुर।



अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद।